मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 2813 / आर–2635 / 2017 / 2 / 34 भोपाल, दिनांक : 15 JUN 2017

– : : आदेश : : –

राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 29.05.2017 में की गई अनुशंसाओं को मान्य करते हुये शासन के आदेश क्रमांक 764 / आर–2635 / 2017 / 2 / 34 दिनांक 17.02.2017 एवं आदेश क्रमांक 1001 / आर–74 / 2014 / 2 / 34 दिनांक 25.02.2017 द्वारा जारी निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :–

1. नलजल योजनाओं की संचालन–संधारण अवधि को अनुबंध में दो वर्ष रखा जाये। अनुबंधकर्ताओं की परस्पर सहमति से इस अवधि से पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

2. योजनाओं की वार्षिक संचालन–संधारण राशि की गणना हेतु योजनाओं की प्राक्कलित लागत की 3 प्रतिशत राशि को वार्षिक संचालन–संधारण की राशि के रूप में प्रस्तावित किया जाये तथा एक नलजल योजना की वार्षिक संचालन–संधारण की न्यूनतम राशि रूपये 60,000/– रखी जाये।

3. "नल से जल, आज और कल" अभियान के अनुक्रम में बंद नलजल योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृतियॉ राज्य शासन स्तर से जारी की गई थी, उपरोक्त प्रावधानों को शामिल किये जाने पर या अपरिहार्य कारणों से स्वीकृत लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर ऐसी योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय सक्षमता की सीमा में मुख्य अभियंताओं द्वारा उनके स्तर पर जारी की जाये।

4. उपरोक्त कंडिका–3 के अंतर्गत स्त्रोत के स्थल परिवर्तन स्वरूप विद्युत लाईन एवं पंपिंगमेन के विस्तार पर होने वाली लागत वृद्धि को भी मुख्य अभियंता पुनरीक्षित प्राक्कलन में शामिल किये जाने हेतु मान्य कर सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/6/2017

(राजेश शाक्यवार)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

क्रमशः ......

पृ.क्रमांक 2814/आर–2635/2017/2/34 भोपाल, दिनांक : 15 JUN 2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल,
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र .... (समस्त),
4. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल .... (समस्त),
5. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड .... (समस्त),

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग